

कार्यालय आदेश सं०-183 / 2021

पूर्व मध्य रेल



इस कार्यालय का पत्र सं०-का/283/05/इंजी०/अम-अरे/पार.स्था./सोन/2020 दिनांक-27.02.2020 एवं मंरेप्र(का०)/कटिहार मंडल, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का पत्र सं०-E/283/I/EE/Ways/KIR/Pt-XII दिनांक-05.10.2020 के द्वारा श्री राम प्रवेश कुमार, ट्रैकमेन्टेनर-IV वेतनमान 5200-20200+1800 जीपी अधीन वसेई/पथ/दक्षिण/कटिहार, कटिहार मंडल तथा श्री मेघनाथ उराँव, ट्रैकमेन्टेनर-IV वेतनमान 5200-20200+1800 जीपी अधीन वसेई/पथ/सोनपुर, सोनपुर मंडल के बीच पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंरेप्र(कार्मिक)/कटिहार मंडल के कार्यालय आदेश सं०-85/2021 एवं पत्र सं०-E/283/I/EE/Ways/KIR/Pt-XII दिनांक-10.03.2021 के द्वारा श्री राम प्रवेश कुमार विरमित होकर इस कार्यालय में योगदान हेतु दिनांक-15.03.2021 को रिपोर्ट किये है, को समान पद, वेतन, वेतनमान एवं ग्रेड पे में वसेई/पथ/गोरौल के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

श्री राम प्रवेश कुमार का अन्य सेवा विवरण हेतु मंरेप्र(का०)/कटिहार का पत्र दिनांक-10.03.2021 की छायाप्रति संलग्न है। इनका रिपोर्ट करने की तिथि-15.03.2021 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की तिथि को ड्यूटी हेतु प्रतिक्षारत रहे है।

चूँकी ये पारस्परिक स्थानान्तरण पर आये है अतः स्थानान्तरण संबंधी कोई लाभ देय नहीं होगा एवं वरीयता नियमानुसार देय होगी। नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने यूनिट में स्थानान्तरण नहीं लेंगे।

कर्मचारी के आवश्यक पहचान हेतु पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर का नमूना का निशान राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित है।


	<p>राम प्रवेश कुमार</p>
<p>सहायक कार्मिक अधिकारी पूर्व मध्य रेल, सोनपुर मंडल</p>	

उपरोक्त पर वमई(समन्वय)/सोनपुर का आदेश प्राप्त है।

(रवि कुमार पंडित)
सहायक कार्मिक अधिकारी-11
कृते मंरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर
दिनांक-18.03.2021

सं०- का/283/05/इंजी०/अम-अरे/सोन/पोस्टिंग/स्पेयरिंग/2020
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. मंरेप्र(का०)/कटिहार, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे-कृपया उपरोक्त कर्मचारी का लेखा विभाग द्वारा विधिकृत सेवा अभिलेख, अवकाश खाता समई(दक्षिण)/मुजफ्फरपुर कार्यालय को उपलब्ध करवायें।
2. वमई(समन्वय), वमविप्र/सोनपुर।
3. समई(दक्षिण)/मुजफ्फरपुर, समई(लाईन)/सोनपुर।
4. वसेई/पथ/गोरौल, वसेई/पथ/सोनपुर।
6. संबंधित कर्मचारी। 7. अभिलेख प्रति। 8. कार्यालय आदेश प्रति।
9. मंडलमंत्री/ईसीआरकेयु, अजा-अजजा एशो० एवं ओबीसी एशो० सोनपुर मंडल।


कृते मंरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर